न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 12 / 2024(जी.सी.एम.एस.2024 / 70)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. मेला सिंह उर्फ महल सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. सुखदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसवन्त सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. मनप्रीत कौर पत्नी मनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–28.06.2024

उपस्थितः 1.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

––निर्णय–– दिनांक : 31.07.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 84/80 के मुरब्बा नम्बर 6, 8, 25, 28, 32, 69/32 की कुल 14.156 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के नाम 2359/7078 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 सालम-सालम तथा शेष भूमि मुरब्बा नम्बर 8, 25 में स्थित है, जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है, जिस पर प्रार्थी ने फसल काश्त की हुई है। प्रार्थी अपने गांव से अपने मुरब्बा नम्बर 6 में जाने के लिए गांव की फिरनी से होता हुआ गांव उतरी-पूर्वी कोने में स्थित मुरब्बा नम्बर 21, 20, 19 प्रत्येक के किला नम्बर 1,2,3,4 की उतरी दिशा में चल रहे सरकारी रास्ता से होता हुआ, उक्त सरकारी रास्ता के पूर्वी दिशा में स्थित मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5 की उतरी दिशा में मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी दिशा में होता हुआ प्रार्थी अपने मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता करीब 20-25 वर्षो से चला आ रहा है। उक्त रास्ता पर मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 25 में सरकारी खाला के उपर पक्की पुलिया बनी हुई है। इस पुली से होकर प्रार्थी अपने खेत में जाता है। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व गांव के अन्य काश्तकार आज तक लगातार, शांतिपर्वूक करते आ रहे है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्वी दिशा में चल रहे रास्ता को मंजूर करवाना चाहता है। उक्त चल रहे रास्ता को मंजूर करवाये जाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा तो अप्राथीगर्ण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा मंजूर किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में रकने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रार्थी मेला सिंह उर्फ महल सिंह व अप्रार्थीगण सुखदेव सिंह, गुरदीप सिंह, जसवन्त सिंह, मनप्रीत कौर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ चिपता 1-1 बिस्वा भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी गई है। जिसमें प्रतिफल स्वरूप आवेदक द्वारा अप्रार्थी को 125000/- रुपए देना तया किया गया है। तदानुसार रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो दोनों पक्षों को कोई एतराज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3. उक्त के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/भू.अ./2024/2680 दिनांक 04.07.2024 से मूल रिपोर्ट पटवारी हल्का लालबाई माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय पटवारी हलका लालबाई द्वारा चक 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 9, 6 के मौका पर जाकर, मौकिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 25 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 0.013-0.013 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ते की मांग व्यवहारिक है व मौका पर चालू है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिक है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित पटवारी हल्का की जाँच रिपोर्ट, फर्द मौका रात का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है-'' कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. तहसीलदार श्रीकरणपुर व पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 47 एफ के मुरब्बा नम्बर 6 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 25 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक व मौका पर चालू है। यह प्रार्थी की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिशिचत हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 0.013-0.013 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं:- 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/435

दिनांक :- 31.07.2024

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 12/2024 अनवान मेला सिंह उर्फ महल सिंह बनाम सुखदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 31.07.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 प्रत्येक की पूर्वी वट के साथ-साथ 0.013-0.013 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर